उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
दिनांक 16.01.2024

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/सं.प./01/24

मण्डल रेल प्रबन्धक , अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

संरक्षा परिपत्र 01/2024

4.23. ब्रेकयानः–

(1) आपात् स्थिति में या विशेष अनुदेशों के अधीन की गई व्यवस्था के सिवाय, किसी गाड़ी को तब तक किसी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसके साथ एक या एक से अधिक ब्रेकवान या हैंडब्रेक वाहन नहीं लगे हैं।

(2) यह नियम रेल कार, केवल अकेले इंजन या आपस में जुड़े ऐसे इंजनों पर लागू नहीं होगा।

स.नि.4.23(1) ब्रेकवान रहित मालगाड़ियों केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही परिचालन आवश्यकताओं के लिए चलाई जाये न कि नियमित रूप से। किसी मालगाड़ी को ब्रेकवान/मैच ट्रक रहित चलाये जाने का निर्णय मण्डल के वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक/मण्डल परिचालन प्रबन्धक अथवा किसी परिचालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक गाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से लिया जायेगा और गाड़ी का विवरण अर्थात् दिनांक, गाड़ी संख्या, कहाँ से कहाँ तक, आखिरी डिब्बा संख्या, गाड़ी को बिना ब्रेकवान के चलाये जाने के कारणों को नियंत्रक कार्यालय में रखे जाने वाले एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

संचार व्यवस्था कि पूर्ण विफलता एवं दोहरी लाइन खण्ड पर इकहरी लाइन के कार्य करने की स्थिति में ऐसी गाड़ियों को चलाना सख्त मना है।

जब कभी बिना ब्रेकवान के मालगाड़ी चलाये जाये तो निम्नलिखित सावधानियों पर ध्यान दिया जाना चाहिये–

(i) आखिरी डिब्बा संख्या सिद्धान्त के आधार पर गाड़ी संचालित की जायेगी।

(ii) गाड़ी चलाने से पूर्व, ट्रेन मैनेजर प्रारम्भिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लिखित रूप में आखिरी डिब्बा की संख्या तथा विवरण बतलायेगा।

(iii) प्रत्येक स्टेशन द्वारा लाइन क्लीयर पूछताछ के समय तथा "सेक्शन प्रवेश" सिगनल देते समय आखिरी डिब्बा की संख्या तथा विवरण, खण्ड नियंत्रक एवं अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दोहरायेगा तत्पश्चात खण्ड नियंत्रक मार्ग के सभी स्टेशन मास्टरों को गाड़ी संख्या, आखिरी डिब्बा संख्या तथा विवरण के विषय में सचेत करेगा।

(iv) लाइन क्लीयर देते समय अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बरों के आदान–प्रदान द्वारा आखिरी डिब्बा की संख्या तथा विवरण को स्पष्ट रूप से दोहरायेगा और ट्रेन सिगनल रजिस्टर के टिप्पणी वाले कॉलम में लाइन क्लीयर के लिए दिये और लिये गये प्राइवेट नम्बरों के सामान्य रिकार्ड के अलावा आखिरी डिब्बा की संख्या तथा विवरण को रिकार्ड किया जाना चाहिये।

आखिरी डिब्बे की संख्या तथा विवरण को प्रत्येक स्टेशन मास्टर गाड़ी सेक्शन में प्रवेश कर रही है सिगनल देते समय अगले स्टेशन और गाड़ी नियंत्रक को दोहरायेगा।

(v) ट्रेन मैनेजर सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी में निरन्तर वैक्यूम/एअर प्रेशर ब्रेक प्रणाली सबसे पिछले कार्यशील पिस्टन सहित इंजन से आखिरी वाहन तक प्रभावी और पर्याप्त ब्रेक पावर युक्त है। ट्रेन मैनेजर आखिरी वाहन पर दिन में टेल बोर्ड या रात में टेल लैम्प लगायेगा तथा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले और रास्ते में यह भी सुनिश्चित करेगा कि कपलिंग सुरक्षित है।

(vi) गाड़ी का ट्रेन मैनेजर इंजन पर रहेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ी सुरक्षित तरीके से चल रही है, बार–बार पीछे देखेगा।

(vii) गाड़ी के पिछले हिस्से के सुरक्षित एवं उचित तरीके से चलने की क्रिया को देखते रहने के लिए लोको पायलट एवं उसका सहायक भी यात्रा के समय बार–बार पीछे की ओर देखते रहेंगे।

(viii) यदि खण्ड का ढलान 100 में 1 से अधिक ढलान हो तो बिना ब्रेकवान की गाड़ी के पीछे इंजन बैंकिंग/सहायक इंजन के तौर पर गाड़ी के अन्त में लगाया जाना चाहिये। ऐसे मामले में ट्रेन मैनेजर पीछे के इंजन पर चढ़ेगा।

(ix) जब भी बिना ब्रेकवान की किसी गाड़ी के आखिरी डिब्बे में दिन में टेल बोर्ड या रात में टेल लैम्प लगाया गया हो तो ऐसी गाड़ी खण्ड की निर्धारित गति पर चलानी चाहिए, ऐसी गाड़ियों को टेल लैम्प/टेल बोर्ड युक्त ब्रेकवान सहित चलने वाली गाडियों के समान मानना चाहिये।

फिर भी यदि, किसी कारण से, आखिरी डिब्बे पर टेल बोर्ड/टेल लैम्प नहीं लगाया जा सका हो तो निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानियाँ बरती जानी चाहिये–

(क) दिन में गाड़ी स्टेशन से 20 कि.मी.प्र.घं. की प्रतिबन्धित गति से थ्रू जायेगी बशर्ते, दृश्यता स्पष्ट हो। रात में या घने कोहरे के मौसम में दृश्यता के प्रभावित रहने पर ऐसी गाड़ी को आखिरी डिब्बा संख्या के सत्यापन और गाड़ी के पूरी तरह आगमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर रोकना चाहिये।

(ख) बिना ब्रेकवान के आखिरी डिब्बा संख्या पर चलने वाली गाड़ी स्टेशनों के बीच खण्डीय गति पर चल सकती है बशर्ते, अन्य लागू गति प्रतिबन्धों का पालन किया जाये। तथापि कोहरे के मौसम में दृश्यता प्रतिबंधित हो, सामान्य व सहायक नियम में उल्लेखित सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी चलायी जायेगी।

(ग) बिना ब्रेकवान वाली गाड़ी की संख्या एवं उसके आखिरी डिब्बे की संख्या प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के अन्तर्गत सिरे के केबिनों को सूचित करेगा।

(घ) ब्लॉक सेक्शन बंद करने से पहले केबिन के स्टेशन मास्टर/केबिनमैन/सहायक स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन/खण्ड नियंत्रक से प्राप्त गाड़ी के आखिरी डिब्बा संख्या को स्वयं एवं मूर्तरूप से चैक व सत्यापन करेगा। आखिरी वाहन की संख्या का मिलान न होने की स्थिति में, या गाड़ी के आखिरी वाहन की संख्या पढ़ने में असमर्थ रहने पर, गाड़ी को आखिरी वाहन संख्या की पुष्टि करने हेतु अगले स्टेशन पर रोका जायेगा, इस अन्तराल में ब्लॉक सेक्शन को बंद नहीं किया जाना चाहिये।

(ङ) यदि स्टेशन मास्टर से प्राप्त संख्या का आखिरी डिब्बा की वास्तविक संख्या से मिलान नहीं होता है तो इंजन के साथ चल रहे ट्रेन मैनेजर के आखिरी डिब्बे की सही संख्या का उल्लेख करते हुए गाड़ी के पूरी तरह पहुँचने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए कहा जाना चाहिये।

(च) जब सिरे के केबिनें न हो तो आखिरी डिब्बा का मिलान का दायित्व स्टेशन मास्टर पर होगा।

(x) जब ब्रेकवान रहित गाड़ी, की यात्रा के दौरान यदि रास्ते में कोई परेशानी आती है तो गाड़ी के ट्रेन मैनेजर को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये–

(क) ट्रेन मैनेजर को डीजल/बिजली सहायक लोको पायलट के साथ हौज पाइप के खुलने अथवा लीकेज आदि देखने के लिए पूरी गाड़ी की जाँच करनी चाहिये। जब स्टेशन सीमा में वैक्यूम/एअरप्रेशर की समस्या आती है तो कैरिज एवं वैगन स्टॉफ अथवा कॉटे वाले की सहायता लेनी चाहिये।

(ख) ट्रेन मैनेजर को डीजल/बिजली सहायक लोको पायलट की सहायता से हौज पाइपों को जोड़ने, लीकेज को बंद करने की व्यवस्था करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि वैक्यूम/एअरप्रेशर ठीक कर दिया गया है और इंजन में आवश्यक मात्रा में वैक्यूम/एअरप्रेशर उपलब्ध है, तब अपनी गाड़ी को रवाना करना चाहिये।

नोट–बिना ब्रेकयान वाली मालगाड़ियों के चलने का रिकार्ड कंट्रोल ऑफिस में एक अलग से रजिस्टर में रखा जायेगा।

16/1/24

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिः–

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.बि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षे.रे.प.सं.– को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।